जयपुर रेल्वे स्टेशन पर रहने वाले बच्चो की स्थिति का अध्ययन

अप्रैल, 2010

राकेश तिवाड़ी

अलारिप्पु, '' खिलती कलियां '' 4/162, जवाहर नगर, जयपुर।

परिचय

राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर मे बडी संख्या में बच्चे विषम परिस्थितियों में परिवार से दूर एवं सडको पर जीवन जीने को मजबूर है। जयपुर शहर जो कि आरी तारी, जैम पांलिशिग में विश्व विख्यात है के कामों में बडी संख्या में बच्चों को श्रमिक के रूप में काम के लिए लगाया जाता है। साथ ही अन्य राज्यों से जयपुर में बच्चों की तस्करी व्यापक स्तर पर की जा रही है साथ ही परिवार में बच्चों की उपेक्षा एवं विद्यालयों में बच्चों के साथ की जा रही मारपीट की वजह से बडी संख्या बच्चे प्लेटफार्म एवं प्लेटफार्म के आस पास रह रहे है।

जयपुर शहर के जयपुर रेल्वे जंक्शन, दुर्गापुरा स्टेशन, गॉधी नगर स्टेशन, जगतपुरा स्टेशन पर रहने वाले बच्चों की स्थिति का अध्ययन किया गया है। इन स्टेशनों पर रहने वाले सभी बच्चे 3 से 18 वर्ष तक की उम्र के है, ये सभी बच्चे रेल्वे प्लेटफार्म पर भीख मागने, प्लास्टिक की बोतल बिनने का काम करते है।

समाज के पढे लिखे, समझदार, बुद्धिमान यात्री जो कचरा (थैली, बचा हुआ खाना, पानी की खाली बोतल, अखबार आदि) प्लेटफार्म पर छोड जाते है वह इन बच्चों की दैनिक आय व भूख मिटाने का साधन बनता है। शायद यह बच्चे नही होते तो प्लेटफार्म का दृश्य क्या होता इसकी कल्पना करना भी नामुकिन होता क्योकि प्रतिदिन यह बच्चे 1.5 से 2 क्विंटल कचरा बीन कर ले जाते है। जहा इनके हाथों में किताबो की जगह कचरे के थेलो/कट्टो का वजन होता है।

जिन बच्चों के हाथो में किताब होनी चाहिऐं उन बच्चों के हाथों मे लोगो के झुठे बर्तन, कचरे का ढेर, या ड़ंडे की मार दी है। क्या फिर हमें यह कहने का हक है कि ''बच्चें देश के भविष्य है।'' क्या ये इस देश के बच्चे नहीं है ? सरकार ने हर क्षेत्र में कार्य किया है फिर आजादी के 63 साल बाद भी आज तक बच्चों की सुरक्षा के बारे मे सरकार ने कुछ खास नही सोचा है। ये बच्चे किसी भी राजनीतिक दल के वोट बैंक नही होते है इसलिए आज तक बच्चों के बारे में किसी भी दल ने किसी भी मंच पर कोई आवाज नहीं उठाई।

सरकार ने ऐसे उपेक्षित बच्चों के पुर्नवास के लिए कानून, नीतियां तो बना दिये है परन्तु आज तक उन कानूनों की पालना ढंग से नही हो पा रही है। राज्य में किशोर न्याय बाल देखरेख संरक्षण अधिनियम, 2000 एवं समेकित बाल सुरक्षा योजना का ठीक तरीके से क्रियान्वयन नही होने के कारण इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड हो रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य :–

- ❖ रेल्वे स्टेशन पर रहने वाले बच्चों की पहचान, हालत व स्थिति के कारणों को जानने का प्रयास करना।
- ❖ स्टेशन पर रहने वाले बच्चो के घर छोडने, शिक्षा से वंचित रहने के कारणों की पहचान करना।
- ❖ रेल्वे स्टेशन पर रहने वाले बच्चो नशे की प्रवृति को समझने का प्रयास करना।
- ❖ रेल्वे प्लेटफार्म पर रहने वाले बच्चों के साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं यौन शोषण को समझने का प्रयास करना।

जयपुर रेल्वे स्टेशन पर रहने वाले बच्चो की स्थिति का विवरण

यह अध्ययन माह फरवरी से अप्रैल 2010 तक जयपुर रेल्वे प्लेटफार्म पर रहने वाले बच्चों की स्थिति पर किया गया है। अध्ययन के प्रारम्भ में बच्चों के दोस्ती करने के उद्देश्य से कई दिनों तक उनके साथ उठना–बैठना तथा उनको समझने का प्रयास किया गया। प्रारम्भ में जब प्लेटफार्म पर इनसे बातचीत की तो बच्चे इतने डरे हुए थे कि कुछ बताने को तैयार नही थे। परन्तु अपना आत्मविश्वास बनाये रखते हुए प्रतिदिन स्टेशन पर जाना इन बच्चों से मिलना झुलना तथा इधर–उधर की बातचीत करके उनसे दोस्ती करने का सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा। सात –आठ दिनों के प्रयास के बाद एक बच्चे के साथ बातचीत करना शुरू किया, उस बच्चे को अपने विश्वास में लिया गया।

उसके बाद बच्चो ने रेल्वे प्लेटफार्म रहने वाले बच्चो की स्थिति के बारे मे बताना शुरू किया जब इन बच्चो की स्थिति को सुना और देखा तो खुद हैरान हो गया कि जयपुर रेल्वे स्टेशन पर किन विषम परिस्थितियों मे बच्चे रहने को मजबूर है।

अध्ययन में पता लगा कि जो बच्चे राजस्थान से बाहर जिनमें बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बंगाल आदि राज्यों से आते है वे मुख्य रूप जयपुर में इसलिए आते है, क्योकि यहां पर आरा–तारी, कालीन, हीरे, नगों की जरी, ईट भट्टे, आदि कार्य अधिक होता है। ये बच्चे के लिए यहां लाये जाते है पर जब काम नही मिलता या मालिक द्वारा कुछ गलत व्यवहार किया जाता है तो इन बच्चो के पास स्टेशन के अतिरिक्त कोई ओर स्थान नहीं मिलता हैं। यह वापस घर भी नही जा सकते है इसके दो मुख्य कारण है, पहला इनके पास ना–तो कोई पता होता है ना ही वापस जाने

का किराया दूसरा मा–बाप का डर व पिटाई का भय होना है। मजबूरी वश ये बच्चे भीख मागना, कचरे मे से कबाड़ा बिनना, बोतल बिनना आदि कार्य करने लग जाते है।

बच्चो की स्थिति –

अध्ययन के दौरान स्टेशन पर रहने वाले बच्चों की स्थितियां निम्न प्रकार है :–

1. रेल्वे स्टेशन पर रहने वाले बच्चे वे होते है, जिन बच्चों के माता–पिता किसी कारण वश मर जाते है, माता–पिता से बिछुड जाते है, घर से भागकर आते है।
2. कुछ बच्चे ऐसे भी जयपुर शहर की आस–पास की कच्ची बस्तियो के है जो प्रतिदिन सुबह रेल्वे स्टेशन पर आते है और शाम को अपने घर चले जाते है। इनमें स्टेशन के पास की बस्ती, हसनपुर पुलिया, नाहरी का नाका, कसाई बस्ती, हटवाड़ा आदि बस्तियों के बच्चे आते जाते है।
3. रेल्वे स्टेशन रहने वाले बच्चों को खाने–पीने व सोने की कोई व्यवस्था नही होने के कारण ये बच्चे प्लेटफार्म सो जाते है या फुटपाथ पर सोते है।
4. रेल्वे स्टेशन पर रहने वाले बच्चों को शिक्षा के कोई व्यवस्था नही होने कारण 80 प्रतिशत बच्चे शिक्षा से दूर है।
5. रेल्वे स्टेशन पर रहने वाले बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी नही मिल पा रहा है।
6. रेल्वे स्टेशन पर अधिकतर बच्चे नग्गे बदन से रहते है और न पैरो मे चप्पल/जूते कुछ भी नही है।
7. गन्दी मे रहने के कारण जहरीले कीड़े, मकोड़े, जानवरों के काटने से कुछ बच्चे घायल हो जाते है।

8. रेल्वे स्टेशन पर रहने वाले बच्चों को स्वास्थ्य सम्बन्ध योजनाओ का लाभ नही मिल पा रहा है।
9. बच्चो की सुरक्षा के कोई इन्तजाम नही होने कारण रेल्वे स्टेशन पर रहने वाले बच्चे कभी–कभी ट्रेन के नीचे आ कर मर जाते है, या उनके हाथ पैर कट जाते है।
10. रेल्वे स्टेशन रहने वाले बच्चो की कोई सरकारी रिकॉर्ड नही होने के कारण इनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती बढ़ती जा रही है।

11. रेल्वे स्टेशन पर बच्चों माहौल खराब होन के कारण ये बच्चें नशे के शिकार हो जाते है और नशे की लत मे पडता है, जैसे की तम्बाकु, गुटखा व सफेद स्याही (व्याइटनर) आदि।

12. कुछ बड़े बच्चे ऐसे है जो नशा का धन्दे मे लिप्त हो चुके है। नशा देकर छोटे बच्चों से अपना कार्य करवाते है।

13. रेल्वे स्टेशन पर रहने वाले बच्चे का मानसिंक एवं शारीरिक शोषण होता है।

14. रेल्वे स्टेशन पर रहने वाले बच्चो को रेल्वे पुलिस व रेल्वे प्रशासन मार–पीट व बच्चो को जेल मे बन्द कर देते है। जबकि 18 वर्ष तक के बच्चो को जेल मे बन्द करना कानून अपराध है, उसके बावजूद बच्चो को जेल मे बन्द कर देते है।

15. रेल्वे स्टेशन पर रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा नही होने के कारण यौन शोषण की घटना भी अत्याधिक होती है। यौन शोषण की घटनाऐ अधिक होने के कारण प्लेटफार्म पर रहने वाली लडकियों की सुरक्षा नही हो पाती है।

16. स्टेशन पर रहने वाले बच्चों की आड में और अपराधी प्रवृति के व्यक्ति अनेक प्रकार घटनाओं को अन्जाम देते है। जैसे :– मारपीट, चोरी, लुटपात, रास्ते मे आने जाने वाले व्यक्ति के साथ छेड़छाड आदि घटनाऐ होती रहती है।

17. जयपुर स्टेशन पर अधिक बच्चों की संख्या इसलिए है कि यहां पर आरा–तारी, कालीन, हीरे, नगीनों की जरी का कार्य, ईट भट्टे, आदि कार्य अधिक होता है।

18. स्टेशन पर कुछ ऐसे असामाजिक व्यक्ति है जो बच्चों की मार–पीटाई करके, उन बच्चों का सामान छिन लेते है और छोटे–छोटे बच्चों को नशा की आदत डालते है। जिसमें बच्चे कम उम्र मे नशे के शिकार हो जाते है।

19. इन बच्चों को घर का पूरा पता नही होने के कारण ये अपने परिवार से दूर रहने को मजबूर है।

जयपुर स्टेशन पर रहने वाले बच्चों की कुल संख्या 126 है, जिनकी स्थिति इस प्रकार है–

- खाली बोतल व कबाडा बिनने वाले बच्चों की संख्या क्रमश 53 व 32 है क्योकि बोतल व कबाडा की वस्तुओं मे पैसे अधिक मिलते है।

- मात्र 03 बच्चे ही कागज की वस्तुओं व 03 बच्चे ही नशे की वस्तुओं को बिनने एवं बेचने का कार्य करते है। बच्चों से पूछा गया सवाल की नशे की वस्तु मे तो पैसे अधिक मिलते है फिर इतने कम क्यो काम करते है जवाब में कहां की नशे की वस्तु मे काम करने से पुलिस जेल मे बन्द करती है, इसलिए नशे की वस्तुओं मे बच्चे कम कार्य करते है।

जयपुर स्टेशन रहने वाले बच्चों निम्न कार्यो मे लिप्त है –

वर्ग	बोतल बिनने वाले बच्चो की संख्या	कबाडा बिनने वाले बच्चो की संख्या	लोहा बिनने वाले बच्चो की संख्या	भीख मागने वाले बच्चो की संख्या	पन्नी बिनने वाले बच्चो की संख्या	कागज बिनने वाले बच्चो की संख्या	अखबार बाटने वाले बच्चो की संख्या	नशे की वस्तुए बेचने वाले बच्चो की संख्या
बालक	36	20	08	13	04	00	01	03
बालिका	17	12	01	07	02	01	01	00
कुल योग	**53**	**32**	**09**	**20**	**06**	**01**	**02**	**03**

- स्टेशन पर रहने वाले बच्चों मे शिक्षा का स्तर देखा जाये तो जो कभी स्कूल नही गये बच्चों की संख्या सबसे अधिक 80 है, जिसमें बालकों की संख्या 50 व बालिकाओं की संख्या 30 है।
- स्टेशन पर रहने वाले बच्चों मे शिक्षा का स्तर देखा जाये तो स्कूल छोड दी है, ऐसे बच्चों की संख्या 35 है, जिसमें बालकों 15 व बालिकाओं की संख्या 20 है।
- जो बच्चों काम के साथ पढाई करते है ऐसे बच्चों 11 है जिसमें 09 बालक ऐसे है जो पढाई के साथ काम भी कर रहे है, बालिकाओं की संख्या 02 है जो काम के साथ–साथ पढाई भी कर रही है।

जयपुर स्टेशन रहने वाले बच्चों की शिक्षा एवं शोषण की स्थिति

वर्ग	कभी स्कुल नही गये बच्चो की संख्या	स्कूल छोड दिये गये बच्चो की संख्या	पढाई के साथ काम करने वाले बच्चो की संख्या	मानसिक/ यौन शोषण के शिकार बच्चों की संख्या	जयपुर प्लेटफार्म पर बाहर से आने बच्चों की संख्या	जयपुर शहर के रहने वाले बच्चों की संख्या	लावारिश /अनाथ बच्चों की संख्या
बालक	50	15	09	35	44	32	05
बालिका	30	20	02	18	15	30	00
कुल योग	**80**	**35**	**11**	**53**	**59**	**62**	**05**

- जयपुर स्टेशन पर रहने वाले बच्चों मे सबसे अधिक बच्चे जयपुर शहर 62 के ही है, जबकि जयपुर से बार की संख्या 59 है।
- मानसिंक व यौन शोषण मे 53 बच्चे शोषित है, जिनमें 35 बालक व 18 बालिकाऐं है। इसमें प्लेटफार्म पर रहने वाले व्यस्को एवं बडे बच्चों के द्वारा छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले है।
- राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के बच्चे भी स्टेशन पर रह रहे है, परन्तु जिसमें सबसे अधिक संख्या राजस्थान के बच्चों ही है, वही दूसरा नम्बर बिहार का आता है।
- पॉच 5 से अधिक बच्चे अपने घर वापस भी जाना चाहते है, परन्तु सही पता एवं कोई व्यवस्था नही होने के कारण घर नही जा पा रहे है।

केस स्टेडी

नाम	:	**कु. नसीमा खॉन**
पिता का नाम	:	**स्व. लरजूल खॉन**
माता का नाम	:	**श्रीमती मनोरा खॉन**
उम्र	:	**12 वर्ष**
निवासी	:	**ग्राम पोस्ट भोरमपुर, कोलकत्ता**

यह बालिका फरवरी 2010 को जयपुर रेल्वे जंक्शन पर अपनी ओर सहेलियों के साथ कबाड़ा बिनते हुए सम्पर्क में आयी थी। इस बालिका वार्ता करने पर बताया कि मेरे पिता जी की मृत्यु के बाद से हमारा परिवार अपना गॉव भोरमपुर छोड़कर जयपुर आये थे।

गॉव छोड़ने का कारण बताया कि गॉव में हमारा मकान चारागाह की जमीन पर बना था पुलिस ने अवैध कब्जा बताकर तोड़ दिया उसके बाद कसाई बस्ती हटवाड़ा, जयपुर में हम किराये के मकान में रह कर अपना जीवन जी रहे है।

बालिका ने बताया कि मेरे परिवार शिक्षा का स्तर नही के बराबर है, सबसे अधिक पढ़ाई मेरे छोटे भाई ने कक्षा 6 पास कर छोड दी है। मैं भी पढ़ाई करना चाहाती हूँ परन्तु मेरी कोई व्यवस्था नही होने के कारण पढ़ नही सकती। मैं अपने परिवार के साथ किराये के मकान में रहती हूँ, सुबह घर से स्टेशन पर आती हूँ, रात को घर वापस चले जाती हूँ। दिन भर में मै बोतल बिनकर 20 से 50 रूपये तक कमा लेती हूँ।

नशे की आदत के बारे में बालिका ने बताया कि पहले मै नशा नही करती थी परन्तु स्टेशन पर आने के बाद मैने देखा की मेरे बराबर की सभी लड़कियां गुटका खाती है। तो मै भी उनको देखकर मै भी नशा करना सीख गई। बताया कि दिन भर में 5 रूपये तक के गुटका खा जाती हूँ।

बालिका ने बताया कि मेरे परिवार में मेरी माता के अलावा मेरे दो भाई व एक बहिन ओर है। जिममे मेरी माता जी कबाड़ा बिनती है मेरी बडी बहिन भी कबाडा बिनती हैं मेरा पूरा परिवार कबाड़ा व बोतल बिनते है, दोनो भाई रिक्शा चलाते है, जिसमें जो पैसा कमाते है। उनमे से आधे पैसो की शराब पी लेते है। आधे पैसे घर में खर्च के लिए देते है। शराब पीने के कारण घर में रोज लड़ाई होती रहती है, इसी कारण मुझे बोतल बिनने का कार्य करना पडता है।

जयपुर स्टेशन पर बच्चों के साथ वर्तमान में काम करने वाली संस्थाऐं :–

1. टाबर संस्थान
2. आई इण्डिया संस्थान
3. चाईल्ड लाईन
4. एफ.एक्स.बी. इण्डिया सुरक्षा संस्थान
5. जन कला एवं साहित्य मंच संस्था
6. सिमरन संस्था
7. प्रारम्भ संस्था

रेल्वे स्टेशन पर रहने वाले बच्चों की सुरक्षा हेतु निम्नलिखित सुझाव है–

- रेल्वे स्टेशन पर रहने वाले सभी बच्चों की पहचान एवं उनकी स्थिति का आकलन एवं पुर्नवास हेतु कार्ययोजना बननी चाहिए।
- किशोर न्याय बाल देखरेख संरक्षण अधिनियम, 2000 एवं समेकित बाल सुरक्षा योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो।
- बच्चों के विरूद्व हो रहे अत्याचारों को रोकने हेतु विशेष कार्य किया जायें।
- बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाये।